निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये *500/– मात्र

निविदा(टेंडर) कमांक IIITDMJ/निविदा/2015-16/08/39 दिनांक 28/08/2015

IIITDMJ/निविदा/2015-16/08/39 दि 28/08/2015

सुरक्षा कर्मी (Security Guards) उपलब्ध कराने के लिए निविदा दस्तावेज

पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन
एवं विनिर्माण संस्थान
डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट खमरिया जिला जबलपुर.482005

निविदा प्रपत्र
क्रेता का नाम :मेसर्स.......................................
....
....
....

निविदा प्रपत्र दिनांक 28/08/15 से दिनांक 24/09/15 तक कार्य समय के दौरान (कार्यालय दिवस में) प्राप्त किए जा सकते हैं।

बोली पूर्व सम्मेलन की तिथि।	11/09/15 को दोपहर 4.00 बजे.
निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।	24/09/15 को दोपहर 3.00 बजे तक.
तकनीकी बोली खोले जाने की तिथि व समय।	24/09/15 को दोपहर 4.00 बजे.

इसमें कुल 09 पृष्ठ है. यह निविदा प्रपत्र हस्तांतरणीय नहीं है।

* पीडीपीएम,आईआईआईटीडीएम, जबलपुर के पक्ष में आहरित जबलपुर में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट द्वारा।

निविदा हेतु शर्तें एवं निबंधन (Terms & Conditions of the Tender)

शर्तों एवं निबंधनों की स्वीकृति के प्रमाणस्वरुप एकमेव स्वामी (Sole Proprietor) या उसकी ओर से उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर कर निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करें)

1. निविदा दो भागों में, अलग–अलग सीलबंद लिफाफों 'ए' एवं 'बी' में प्रस्तुत की जानी होगी।

(ए) प्रथम लिफाफा 'ए' में तकनीकी विवरण होना चाहिये :–

इस लिफाफे **'ए'** में निम्न दस्तावेज होने चाहिये :–

i) कंपनी / फर्म का पंजीयन प्रमाणपत्र।

ii) न्यूनतम 80 कर्मचारियों हेतु श्रम अनुज्ञप्ति (Labour Licence)

iii) कर्मचारी भविष्यनिधि आयुक्त कार्यालय से पंजीयन (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।)

iv) सेवा कर (Service Tax) पंजीयन नंबर (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।)

v) पिछले 3 वित्त वर्षो में न्यूनतम 80 कर्मचारियों को नियोजित करने का अनुभव प्रमाणपत्र।

vi) औसत आधार पर पिछले 3 वर्षो का वार्षिक लेनदेन (Annual Turnover) न्यूनतम रु0 2.00 करोड़ (रुपये दो करोड़ मात्र) होने बाबत अंकेक्षित (Audited) विवरण।

vii) पैन कार्ड की प्रति एवं पिछले 3 वित्त वर्षो हेतु आयकर विवरणियों की प्रति।

viii) निजी सुरक्षा एजेंसीज अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैध अनुज्ञप्ति की प्रति।

ix) निविदा की शर्तें एवं निबंधन, जो सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षरित एवं स्टैंपड् हो।

x) तकनिकी बोली लिफाफे में ,पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर के पक्ष में अमानत जमा राशि (EMD) रु0 80,000/–(रुपये अस्सी हजार मात्र) का ड्राफट्, जो जबलपुर में भुगतान योग्य हो, संलग्न होना चाहिये। तकनीकी बोली के साथ अमानत जमा राशि संलग्न न होने पर, तकनीकी बोली सरसरी तौर पर ही निरस्त / अस्वीकृत कर दी जाएगी।

xi) तकनिकी बोली लिफाफे में, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर के पक्ष में निविदा शुल्क (Tender Fees) रु0 500/–(रुपये पांच सौ मात्र) का ड्राफट्, जो जबलपुर में भुगतान योग्य हो, संलग्न होना चाहिये। तकनीकी बोली के साथ निविदा शुल्क संलग्न न होने पर, तकनीकी बोली सरसरी तौर पर ही निरस्त /अस्वीकृत कर दी जाएगी।

(बी) दूसरे लिफाफा 'बी' में वित्तीय बोली (दर बोली) (Price Bid) विवरण होना चाहियेः–

i) दूसरे लिफाफे **'बी'** में केवल वित्तीय बोली (दर बोली) **(Price Bid)** प्रस्तुत की जाएंगी। केवल उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बोली (दर बोली) **(Price Bid)** खोली जाएगी, जो तकनिकी बोली में पात्र पाए गए निविदाकारों की छोटी सूची **(Short List)** में शामिल हो। दूसरे लिफाफे के खुलने की तिथि, समय व स्थान बाबत जानकारी तकनीकी बोली में पात्र पाए गए निविदाकारों को संस्थान द्वारा डाक/ईमेल/फैक्स के माध्यम से भेजी जाएगी।

ii) एजेंसी के सेवा प्रभार, **(Service Charges)** तैनात किए गए कर्मचारियों को (मासिक आधार पर) भुगतान की जाने वाली कुल मजदूरी के प्रतिशत में स्पष्ट रुप से लिखे जाएं।

iii) बिलों की राशि पर सेवा कर **(Service Tax)** का भुगतान लागू दरों के अनुसार किया जाएगा अतः निविदा में, सेवा कर बाबत कोई दरें लिखे जाने की आवश्यकता नहीं हैं।

2. **आवश्यकता** : संस्थान की आवश्यकतानुसार सुरक्षा कर्मियों की संभावित संख्या निम्नानुसार होगीः–

(ए) सुरक्षा निरीक्षक **(Security Supervisors)**	03 मानव दिवस (मानव दिवस/दिन) अति कुशल **(Highly Skilled)**
(बी) सुरक्षा कर्मी **(Un armed)**	68 मानव दिवस (मानव दिवस/दिन)
(सी) महिला सुरक्षा कर्मी	03 मानव दिवस(मानव दिवस/दिन)
(डी) हथियारबंद सुरक्षा कर्मी **(Armed Guards)**	05 मानव दिवस(मानव दिवस/दिन)
(ई) संभाषणयंत्र/पारेषण सेटस् **(Walkie-Talkie/Transmisson Sets)**	10 (चौबीसों घंटे चालू)
(एफ) अच्छी स्थिति में वाहन **(SUV)** (चालक के साथ)	01 (डयूटी वाहन का उपयोग आवश्यकता के अनुरूप तथा संस्थान परिसर में 24 घंटे उपलब्धता के साथ)

नोटः –

1. एक मानव दिवस का अर्थ है – 08 घंटे की एक शिफ्ट डयूटी पर 01 व्यक्ति
2. यहां बताई गई आवश्यकता, केवल संभावित आवश्यकता है जो संस्थान की जरुरतों के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं।
3. नियुक्त सुरक्षाकर्मियों का भुगतान न्यूनतम मजदूरी की दर जो उस समयावधि के दौरान भारत सरकार द्वारा लागू है, पर किया जावेगा।

3. निविदाकार को पर्याप्त संख्या में ऐसे सुरक्षा कार्मिक तैनात करने होंगे जो संस्थान पीडीपीएम आईआईआई टीडीएम जबलपुर की आवश्यकताओं के अनुरुप, ऐवजी (Reliever) एवं पर्याप्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण (निरीक्षण) के प्रावधानों के साथ वरीयता – आधुनिक तकनिकी उपकरणों जैसे वाकी टाकी या मोबाइल फोन इत्यादि के उपयोग से) चौबीसों घंटे सेवाएं दे सकें।

4. अगर सुरक्षा एजेंसी अतिरिक्त समयावधि के लिये किसी सुरक्षा कर्मी को तैनात करती है तो उसके ओवर टाइम का भुगतान या कोई अन्य भुगतान एजेंसी द्वारा खुद किया जावेगा।

5. यदि नियमित अतिरिक्त मानव दिवसों की आवश्यकता होती है तो, एजेंसी को 3 दिन पहले इसकी सूचना दी जावेगी और अतिरिक्त मानवदिवसों का भुगतान बोली गई दरों के अनुपात में (Pro-rata basis) भुगतान किया जाएगा।

6. एजेंसी व्दारा कोई भी विकलांग, शारीरिक या मानसिक रुप से अस्वस्थ या नाबालिग (In terms of Age) व्यक्ति को सुरक्षा कर्मी के तौर पर तैनात नहीं किया जाएगा।

7. ठेकेदार, उसके व्दारा तैनात सुरक्षा कर्मियों बाबत निम्न प्रावधानों का पालन करने हेतु उत्तरदायी/ भागी होगा।

   i) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लागू किए गए श्रम कानूनों के अनुसार बीमा लाभ।

   ii) केंद्र सरकार द्वारा उस प्रकार के कर्मियों हेतु लागू कानून के अनुसार बोनस लाभ।

   iii) ठेकेदार को, चिकित्सा व्यय व सुविधाओं, दुर्घटना हितलाभ, कामगारों को मुआवजा, न्यूनतम मजदूरी, श्रम शुल्क (Labour Cess), अन्य कल्याणकारी उपायों एवं अन्य वैधानिक आवश्यकताओं बाबत केंद्र/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लागू किए गए श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन करना होगा।

8. श्रम विभाग या किसी अन्य न्यायालय द्वारा ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी पर, किसी नियम/कानून के उल्लंघन हेतु कोई अर्थदंड लगता है, तो अर्थदंड के भुगतान हेतु ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी भागी होगी अतः तदनुसार उसे स्वयं ही भुगतान करना होगा।

9. ठेकेदार को, संस्थान के अधिकारियों से चर्चा कर, सभी सुरक्षाकर्मियों व निरीक्षकों को उचित रंग की दो जोड़ी वर्दियां, (सेना के रंग व पध्दति को छोडकर) जो संस्थान द्वारा निश्चित की जाए, अपने स्वयं के व्यय पर प्रदान करनी होगी। साथ ही सुरक्षा कर्मियों हेतु आवश्यक अन्य सामग्री भी जैसे – चमड़े का पटटा, टोपी, लाइन यार्ड, सीटी, जूते, टार्च, लाठी, भाला, रजिस्टर, बंदूक (केवल बंदूकधारी हेतु) इत्यादि उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रदान करनी होगी।

10. सुरक्षा एजेंसी द्वारा वाहन संचालन बावत् उपयुक्त लॉगबुक बनायेगा तथा यह हमेंशा वाहन के साथ उपलब्ध रहेगी।

11. नियमित सुरक्षाकर्मी/निरीक्षक के अवकाश पर होने की स्थिति में, ठेकेदार को स्थानापन्न अर्थात ऐवजी सुरक्षाकर्मी/ निरीक्षक उपलब्ध कराना होगा।

12. वाहन संचालन के लिए निर्धारित 1000 कि.मी. प्रतिमाह में से 500 कि.मी. सुरक्षा सुपरवाईज़र के द्वारा इस्तेमाल किया जायेगा बाकि बचा हुआ 500 कि.मी. संस्थान के अधिकारियों के द्वारा पैटरोलिंग के लिए आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाएगा।

13. वाहन 24 घंटे संस्थान परिसर में उपलब्ध होना चाहिए। संस्थान के बाहर ले जाने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

14. गश्त ड्यूटी हेतु : ठेकेदार एजेंसी द्वारा, रात्रि कालीन गश्त डयूटी, सुरक्षाकर्मियों का निरीक्षण या आवश्यकता होने पर, किसी अन्य आपातकालीन डयूटी हेतु वाहन (SUV) जैसे स्कॉर्पियो/बोलेरो उपलब्ध कराना होगा। उक्त वाहन अच्छी स्थिति में व मय वैध पंजीयन, रोड टैक्स का भुगतान किया हुआ व अद्यतन बीमाकृत होना चाहिये।

15. वाहन हेतु तैनात चालक, वैध अनुज्ञप्ति (Licence) धारक होना चाहिये और उसे चार पहिया हल्के मोटर वाहन चलाने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। चालक की डयूटी प्रतिदिन 08 घंटे की होगी व इससे अधिक अवधि तक कार्य लिए जाने पर नियमानुसार समयोपरि भत्ते (Overtime) का भुगतान सुरक्षा एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

16. वाहन के रखरखाव का व्यय, ईंधन (Diesel/Petrol) व्यय, चिकनाई (Lubrication) व अन्य तेल (Oil) हेतु व्यय साथ ही नियमित सामान्य रखरखाव का व्यय, एजेंसी द्वारा ही वहन किया जाएगा।

17. बोली गई दरों में वाहन चालक पर खर्च, प्रभार भी शामिल होना चाहिये। वाहन हेतु भुगतान, वाहन के वास्तविक परिचालन हेतु व आनुपातिक आधार (Pro-rata basis) पर होगा जिसके लिए उचित लॉग बुक संधारित की जाएगी, जिस पर सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर होना चाहिये।

18. ठेकेदार फर्म/एजेंसी के कार्यप्रदर्शन की सतत् निगरानी व निरीक्षण, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम के इस हेतु प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। यदि किसी भी समय ठेकेदार फर्म/एजेंसी का कार्यप्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता, तो पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम बिना कोई कारण बताए, अनुबंध की वैधता अवधि में, अनुबंध समाप्त/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

19. सफल ठेकेदार को, इस कार्य हेतु संस्थान के साथ, दिए गए समय में, एक अनुबंध हस्ताक्षरित/निष्पादित करना होगा। ऐसा किए जाने में असफल रहने पर, अमानत जमा राशि जब्त की जाएगी।

20. ठेकेदार द्वारा तैनात कार्मिकों की सदस्यता एवं उनके बाबत किए गए योगदान (Contribution) भुगतान के दस्तावेजी साक्ष्य, ईपीएफ/ईएसआई/सेवाकर प्राधिकारियों से प्राप्त कर, अनुबंध के प्रारंभ से 60 दिन के भीतर उपलब्ध कराने होंगे। ऐसा करने में असफल रहने पर बिल भुगतान हेतु अमान्य किया जा सकता है। सभी सुरक्षा कर्मियों के पास, वैध ईएसआई कार्ड उपलब्ध रहना चाहिये।

21. सुरक्षा एजेंसी के द्वारा जमा किये गए ईपीएफ का ब्यौरा संस्थान को प्रति माह देना होगा।

22. पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम को उपलब्ध करवाए गए सभी सुरक्षाकर्मियों के चरित्र व पूर्ववृत्त का पुलिस सत्यापन ठेकेदार को करवाना होगा व प्रत्येक कर्मी हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम को प्रस्तुत करनी होगी। अनुबंध के प्रारंभ से पूर्व ठेकेदार को सभी सुरक्षा कर्मियों की सूची, उनके हस्ताक्षर, ताजा फोटो,वर्तमान व स्थाई पते की जानकारी सहित संस्थान को प्रस्तुत करनी होगी।

23. ठेकेदार द्वारा संस्थान में तैनात सभी सुरक्षा कर्मी व्यावसायिक रुप से प्रशिक्षित, स्वस्थ व शिक्षित, तथा सेहतमंद व मजबूत गठन वाले होने चाहिये जो अधिमानतः 45 वर्ष से कम आयु के व महिला सुरक्षाकर्मी 40 वर्ष से कम आयु की हो। सभी सुरक्षा कर्मियों को अग्नि निरोधक एवं सुरक्षा संबंधी अलग अलग प्रकार के उपकरणों के संचालन व उत्तम प्रकार से प्रयोग कर सकने हेतु प्रशिक्षित होना चाहिये। उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा डयूटी, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा डयूटी व बैंक डयूटी करने हेतु भी सक्षम होना चाहिये। सुरक्षा निरीक्षकों को संस्थान परिसर के अंदर व आसपास तथा उन स्थानों पर जहां सुरक्षाकर्मी तैनात है, प्रतिदिन गश्त लगाकर अवलोकन व निरीक्षण करना होगा तथा सुरक्षा दीवार में टूटफूट, फेरीवालों द्वारा अनधिकृत प्रवेश, अतिक्रमण या किसी अवांछित व्यक्ति का या जानवरों का परिसर में प्रवेश आदि घटनाओं पर निगरानी रखने के साथ उन्हें सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा प्रभारी के ध्यान में लाना होगा।

24. संस्थान में प्रस्तावित वर्तमान ड्यूटी पोस्टों को संस्थान के मानचित्र में संलग्नक –1 के रूप में दर्शाया गया है जिसे संस्थान की आवश्यकतानुसार भविष्य में बदला भी जा सकता है।

25. ठेकेदार एजेंसी द्वारा तैनात सुरक्षाकर्मियों/निरीक्षकों में से कम से कम 25 प्रतिशत व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक होने चाहिये जिनकी आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण स्थलों ;झमल चवेपजपवदेद्ध पर तैनाती हेतु होगी।

26. ठेकेदार एजेंसी को, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर में तैनात सुरक्षा कार्मिकों द्वारा, बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के, संस्थान के परिसर में (आवासीय भवन सहित) 26 जनवरी व 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्वों पर परेड समारोह की व्यवस्था करनी होगी। जब भी आवश्यकता हो, एजेंसी को,होस्टल आवासीय क्षेत्र में भी गश्ती डयूटी, बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के सुनिश्चित करनी होगी।

27. पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम द्वारा सुरक्षा कर्मियों हेतु बैरक टाइप आवास व्यवस्था, (उपलब्धतानुसार) उपलब्ध करवाई जाएगी जो अनुज्ञप्ति शुल्क रु0 3,000/– (रुपये तीन हजार मात्र) प्रतिमाह एवं पानी तथा बिजली प्रभार रु0 300/–(रुपये तीन सौ मात्र) पूर्ण बैरक को, प्रतिमाह के भुगतान के अध्यधीन होगी।

28. ठेकेदार एजेंसी से एक औपचारिक अनुबंध किया जायेगा जो प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि हेतु वैध होगा। अनुबंध की अवधि 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात कार्य–निष्पादन मूल्यायंकन समिति की रिपोर्ट पर पुनः 1 वर्ष का अनुपूरक अनुबंध बढ़ाया जा सकता है और इस अनुबंध को इसी प्रकार से अधिकतम 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

29. ठेकेदार एजेंसी को अनुबंध के प्रारंभ होने से पूर्व, उसके कार्यप्रदर्शन की गारंटी के तौर पर, प्रतिभूति के रुप में रु0 2,00,000/– (रुपये दो लाख मात्र) की बैंक गारंटी जमा करनी होगी जो संपूर्ण अनुबंध अवधि तक वैध होना चाहिये।

30. ठेकेदार एजेंसी, केंद्र सरकार/मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रसारित निर्देशों के अनुसार मजदूरी का भुगतान, सुरक्षा कर्मियों को करने हेतु भागी (Liable) होगी जिन्हें संस्थान के परिसर में एजेंसी द्वारा तैनात किया गया हो। साथ ही अन्य आगे संशोधित प्रभार व विभिन्न श्रम कानूनों, वैधानिक देयताओं के अधीन देय राशि का भुगतान करने हेतु भी भागी होगी और इस बाबत अपना भुगतान बिल निर्धारित समय पर संस्थान को प्रस्तुत करेगा।

31. उपस्थिति के लिए संस्थान द्वारा बायोमैट्रिक सिस्टम मशीन उपलब्ध करायी जायेगी तथा महीने के अंत में इस का प्रिन्ट आउट मासिक बिल के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

32. सुरक्षा कर्मियों को ओवर टाईम का भुगतान संस्थान के संबंधित अधिकारी जिसके द्वारा आदेश दिया गया है उसके अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा।

33. सुरक्षा अनुबंध के तहत आनेवाले ऐसे क्षेत्रों में, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर की संपत्ति को यदि चोरी के कारण या अन्य किसी प्रकार से कोई हानि होती है, तो उस हानि का उत्तरदायित्व, एजेंसी पर तय किया जाएगा व ऐसी नष्ट संपत्ति की हानि की पूर्ति के बतौर हानि के 75 प्रतिशत राशि की वसूली एजेंसी से की जाएगी।

34. उपरोक्त के अलावा भी सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार अन्य शर्तों एवं निबंधनों का, ठेकेदार एजेंसी को पालन करना होगा।

35. सफल ठेकेदार को, संस्थान की संपत्ति की निगरानी एवं सुरक्षा हेतु सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बाबत, क्षेत्रीय श्रमायुक्त जबलपुर, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुज्ञप्ति को प्रस्तुत करना होगा।

36. निविदाकार को, ठेका मजदूरी (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 एवं बाद में हुए संशोधनों के तहत एजेंसी के पंजीकृत होने बाबत वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर, आश्वस्त करना होगा।

37. ठेकेदार एजेंसी को देय सभी मासिक बिलों की राशि में से, प्रचलित नियमों के तहत समस्त वैधानिक देयताओं की राशि स्त्रोत पर ही काट ली जाएगी।

38. निविदाकार को समस्त वैधानिक आवश्यकताओं जैसे श्रम अनुज्ञप्तियां, बीमा, आयकर कटौतियां इत्यादि का पालन करना अनिवार्य होगा।

39. संस्थान, बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

40. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्र में लागू न्यूनतम मजदूरी की दरों में किसी संशोधन या बदलाव घोषित किए जाने पर, व एजेंसी द्वारा इस बाबत लिखित सूचना मय दस्तावेजी साक्ष्य के संस्थान को दिए जाने पर, संस्थान द्वारा प्रत्येक मानव दिवस हेतु तय दरें तदनुरुप संशोधित की जाएगी।

41. ठेकेदार एजेंसी द्वारा बोली गई दरों में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लगनेवाली संपूर्ण राशि भी सम्मिलित होना चाहिये। कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

42. ठेकेदार एजेंसी के पास, निजी सुरक्षा एजेंसी अधिनियम 2005/डीजीआर के तहत जारी वैध अनुज्ञप्ति होना चाहिये।

43. कार्य क्षमता की समीक्षा कार्य निष्पादन समिति के द्वारा प्रत्येक तिमाही में किया जाएगा।

44. दर बोली में लेखा निर्धारित स्थान पर ही अंकित किया जाएगा। निर्धारित स्थान के अलावा अन्य स्थान पर अंकित लेखा के विवरण पर विचार नही किया जाएगा और ऐसी दशा में बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

45. किसी भी निविदाकार/बोलीकर्ता द्वारा अपनी दर बोली (Price Bid) में सेवा प्रभार (Service Charge) शून्य प्रतिशत (0%) नहीं दर्शाया जाएगा। इसका पालन न करने पर संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा निजवद दस्तावेज निरस्त/अस्वीकार किये जाने योग्य होगा।

46. तकनीकी बोली के साथ समस्त दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किये जाने चाहिये व दस्तावेज की प्रतियां पठनीय (Legible) होना चाहिये अन्यथा निविदा को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार/निरस्त कर दिया जाएगा।

47. निप्रपत्र सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसपर लिखा हो –
"निविदा सूचना कमांक..दिनांक............................" व जो रजिस्ट्रार, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएमजे, डुमना एयरपोर्ट रोड़ पोस्ट खमरिया, जिला जबलपुर – 482005 के पते पर प्रेषित किया जाए।

सुरक्षा सेवाओं हेतु निजवद
तकनीकी बोली (Technical Bid)

विषय :– सुरक्षा कर्मियों (Security Guards) हेतु निविदा

1. निविदाकार / एजेंसी का नाम :..
2. टेलिफोन नंबर / मोबाइल नंबर :..
   के साथ पता :..
   :..
3. संस्था का गठन या प्रकृति :..
   एकमेव स्वामी / साझेदारी फर्म / कंपनी / सरकारी विभाग / सार्वजनिक उपक्रम संस्थान
   (प्रमाण संलग्न करें)
4. फर्म का पंजीयन नंबर :..
   (पंजीयन प्रमाणपत्र की सत्यापित फोटोप्रति संलग्न करें।)
5. निविदाकार / संस्था का पैन नंबर :..
   (सत्यापित प्रति संलग्न करें)
6. सेवा कर पंजीयन नंबर :..
   (अंकेक्षित प्रति संलग्न करें)
7. अमानत जमा राशि / डिमांड ड्राफट् नंबर.............................दिनांक.......................बैंक का नाम............................
   ....राशि रु0.........................अमानत जमा राशि।
8. फर्म / एजेंसी का वार्षिक लेन देनः.................................(प्रमाण संलग्न करें)
   (यह पिछले 03 वित्त वर्षों के औसत आधार पर 2 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होना चाहिये एवं संलग्न की गई प्रतियां सनदी लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।)
   वित्त वर्ष 2013–14 :..
   वित्त वर्ष 2012–13 :..
   वित्त वर्ष 2011–12 :..
9. पिछले 03 वित्त वर्षों की आयकर विवरणियां। (स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)
10. श्रम अनुज्ञप्तियां (Labour Licences), ईपीएफ / ईएसआईसी। (स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)
11. निजी सुरक्षा एजेंसी अधिनियम 2005 के तहत जारी वैध अनुज्ञप्ति की प्रति।
12. क्या निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं स्टैंप है ? हां / नहीं
13. अनुभव (पिछले 03 वित्त वर्षों हेतु प्रमाणपत्र संलग्न करें।)
14. अन्य कोई ऐसी सूचना जो निविदाकार की राय में महत्वपूर्ण हो।

दिनांक............................ निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

सुरक्षा सेवाओं हेतु निविदा
वित्तीय बोली या दर बोली (Price Bid)

नोटः–

1. प्रतिदिन हेतु मजदूरी भुगतान, भारत सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार किया जाएगा।

2. वित्तीय बोली पर निम्न आधारों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा – (1) प्रतिशत (Percentage) में बोले गए सेवा प्रभार, (2) (i) एक माह के लिये वाहन हेतु बोली गई दर (1000 कि.मी. दूरी तक), (3) वाकी टाकी हेतु बोले गए मासिक प्रभार।

3. प्रतिशत में बोले गए सेवा प्रभारों की भारतीय रुपये में गणना की जाएगी जो निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को लागू न्यूनतम मजदूरी की दर पर निविदा दस्तावेज के पैरा 2 'आवश्यकता' में दी गई आवश्यकताओं पर आधारित होंगी।

4. वाहन हेतु बोली गई दर (2) (ii) (1000 कि.मी. से अधिक की दूरी हेतु प्रति कि.मी. अतिरिक्त प्रभार) को वित्तीय बोली (Price Bid) पर निर्णय लेते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

5. बिलों की राशि पर सेवा कर (Service Tax) का भुगतान लागू दरों पर किया जाएगा अतः निविदा में, सेवा कर बाबत कोई दरें बोली जाने की आवश्यकता नहीं हैं।

6. निविदा में निम्न सारणी के अनुसार दरें बोली जाएंगी।

स0क0	विवरण Particulars	दर Rate
1	प्रतिमाह की कुल मजदूरी पर एजेंसी के सेवा प्रभार प्रतिशत में Service Charge of the agency as % of total of wages per month.	
2	**वाहन की दर त्जम व अमीपबसमरू.** **(i)** एक माह हेतु वाहन की दर 24 धंटे ड्राइवर की उपलब्धता के साथ (डीजल/पेट्रोल व रखरखाव व्यय सहित) मासिक चालन 1000 कि.मी. तक की दूरी हेतु Rate of Vehicle including drivers available round the clock for one Month (including diesel/ petrol and Maintenance) for monthly run upto 1000 Kms.	
	(ii) 1000 कि.मी. से अधिक दूरी हेतु प्रति कि.मी. अतिरिक्त दर Extra Charge per km beyond 1000 Km	
3	वाकी टाकी/पारेषण सेटस् हेतु मासिक प्रभार Monthly Charges for Walkie Talkie/Transmission Sets (total 10 Sets)	

....

स्वामी या अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व सील

नाम व पद..